भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2177** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **29 जुलाई**, 2022/07 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है

समुद्री अर्थव्यवस्था का संवर्धन

†2177. **डॉ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :**

श्री चंद्र शेखर साहू :

श्री कृपानाथ मल्लाह :

श्री राहुल रमेश शेवाले :

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में समुद्री अर्थव्यवस्था का संरक्षण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए तटीय क्षेत्रों को विकसित करने और उनमें सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश में समुद्री क्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न चुनौतियों और अवसरों के बारे में कोई चर्चा की है और निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र, विशेषकर भारत की नीली अर्थव्यवस्था के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में इस तरह की समीक्षा के दौरान साझा किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी, हां। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्गों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर महत्वपूर्ण अवस्थिति का भरपूर लाभ उठाते हुए पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर आधारित सागरमाला कार्यक्रम, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। सागरमाला कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, कार्यान्वयन के लिए लगभग 5.5 लाख करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 800 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है।

वर्तमान में, सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 10,188 करोड़ रु. मूल्य की 77 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं। इनमें से 1,450 करोड़ रु. मूल्य की 19 परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं, जबकि 8,738 करोड़ रु. मूल्य की 58 परियोजनाएं विकास और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

तटीय सामुदायिक विकास के दायरे में मत्स्यन (मत्स्यन बंदरगाहों का विस्तार और उन्नयन/ निर्माण/ आधुनिकीकरण, नदीमुख ड्रेजिंग, मत्स्य प्रसंस्करण केंद्र, फिश लैंडिंग सेंटर), कौशल विकास (कौशल एवं बहु-कौशल विकास केंद्र, समुद्री अभियांत्रिकी और प्रशिक्षण संस्थान) और प्रौद्योगिकी केंद्रों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) से (ङ): मंत्रालय ने समुद्री राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राज्य समुद्री बोर्डों, महापत्तनों, जिलाधीशों और तटीय जिलों/ निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए। विचार-विमर्शों के उपरांत तटीय जिलों के समग्र विकास के अंतर्गत, लगभग 58,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली कुल 567 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। ये परियोजनाएं चार मुख्य श्रेणियों अर्थात् तटीय अवसंरचना विकास, तटीय पर्यटन, तटीय औद्योगिक विकास और तटीय सामुदायिक विकास से संबंधित हैं। इसके अलावा, समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) और राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (एनएसएसी) बैठकों के माध्यम से हितधारकों से भी विचार-विमर्श किया जाता है।

*****